(ख) वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 (31-12-88 तक) के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपनी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वितरित राशि	(रु० करोड़ में)			
1987-88	1988-89 (31-12-88 तक)			
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
खादी	43.69	24.99	31.04	13.31
ग्रामोद्योग	13.57	53.58	11.92	33.57

जिन सहकारी समितियों, संस्थाओं और व्यक्तियों को खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा सहायता दी गयी थी उनकी संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपयुक्त भाग "ख" में उल्लिखित अवधि के दौरान वितरित किए गए ऋणों का वापस भुगतान अभी तक देय नहीं हुआ है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे ग्रामीण उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों और कारीगरों की आय

672. **श्री राम जेठमलानी:**
सरदार जगजीतसिंह अरोड़ा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य बोर्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों में श्रमिकों व कारीगरों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 और दिसम्बर, 1988 में यह संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन उद्योगों में कार्य कर रहे कारीगरों द्वारा अर्जित वार्षिक आय का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि इनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए निर्धारित की गयी आय की सीमा से अधिक नहीं है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने खादी कार्यकलापों में कार्यरत श्रमिकों एवं कामगारों की संख्या वर्षों से बढ़ रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में दिये गये रोजगार का योग नीचे दिया गया है:

1986-87	40.70 लाख
1987-88	41.80 लाख

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादन करने वाली विभागीय एककों एवं खादी संस्थानों द्वारा अपनाने के लिए काम के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है। खादी क्षेत्र निम्नलिखित श्रमिकों/कारीगरों को औसत मजदूरी प्रदान करता है जो प्रतिदिन 8 घंटे पूरे समय कार्य करते हैं:

—नये मॉडल- चरखे पर खादी कताई करने वालों को 10 रु० से 20 रु० प्रतिदिन तक।

—संशोधित करघों पर खादी बुनकरों को 15 रूत से 30 रु० प्रतिदिन तक।

ग्रामोद्योग के मामले में संस्थानों द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक, जो अधिकांश सहकारी क्षेत्र में है कार्यकलाप से कार्यलाप और उद्योग से उद्योग में भिन्न-भिन्न है। तथापि, ग्रामोद्योग के अधीन, एक कारीगर की औसत प्रतिदिन आय 15 रु० से 25 रु० के बीच है।

हिमाचल प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति

673. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह